To Compensate the Loss of Houses

***26 SH.INDU RAJ, M.L.A.:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the water has been accumulated in approximately all the villages of Baroda Assembly Constituency due to excessive rain and as a result of which cracks appeared in many houses and many other houses has been completely damaged;

b) if so, whether any survey for the abovesaid damaged houses has been conducted by the Government togetherwith the details thereof; and

c) Whether there is any proposal under consideration of the Government to compensate the loss of abovesaid houses; if so, the extent of amount fixed for such compensation togetherwith the time by which the said compensation is likely to be provided to the owners of abovesaid houses?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

a) Yes, Sir. As reported by the District Administration of Sonepat, 12 residential houses and one animal shed have been damaged in some villages of Baroda Assembly Constituency in Tehsil Gohana.

b) 18 applications (17 houses in rural areas and 1 house in an urban area) have been received from Sonepat District on portal as on 22.08.2023.

c) Yes, Sir. Disbursement of compensation shall be carried out after the verification process is completed. The norms are as below:-

(a)	Fully damaged/ destroyed Houses and Severely damaged houses (Pucca and Kutcha house)	Rs. 1,20,000/- per house, in plain areas Rs. 1,30,000/- per house, in hilly areas	
(b)	Partially damaged Houses (other than huts) where the damage is at least 15%	Rs. 10,000/- per Pucca house Rs. 5,000/- per Kutcha house Note:- The excess amount is met from State budget.	In case of Drought, **Flood**, Hailstrom, Dust Storm, Electric Sparking, Lightening, Fire, Cold Wave/Frost, Heat Wave and Pest Attack
		Rs. 6,500/- per Pucca house Rs. 4,000/- per Kutcha	In case of Earthquake, Cloud Burst, Landslide
(c)	Damaged /Destroyed huts	Rs. 8,000/- per hut (Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/District authorities.)	
d)	Cattle shed attached with house	Rs. 3,000/- per shed	

मकानों के नुकसान का मुआवजा देना

*** 26** श्री इन्दु राज, एम.एल.ए.

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क) क्या यह तथ्य है कि अत्यधिक बरसात के कारण बरौदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में जलभराव हो गया है और जिसके परिणामस्वरूप कई घरों में दरारें आ गई हैं और कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं;

ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उपरोक्त क्षतिग्रस्त घरों के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा

ग) क्या उपरोक्त घरों के नुकसान का मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इस नुकसान के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा उपरोक्त घरों के स्वामियों को उक्त मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है?

श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा

क) हाँ, श्रीमान जी। सोनीपत जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, तहसील गोहाना के बरोदा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों में 12 आवासीय मकान और एक पशु शेड क्षतिग्रस्त हो गया है।

ख) सोनीपत जिले से दिनांक 22.08.2023 तक पोर्टल पर 18 आवेदन (ग्रामीण क्षेत्रों में 17 घर और शहरी क्षेत्र में 1 घर) प्राप्त हुए हैं।

ग) हाँ, श्रीमान जी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजे का वितरण किया जाएगा। मानदंड इस प्रकार हैंः-

क	पूरी तरह से क्षतिग्रस्त/ नष्ट मकान और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान (पक्के और कच्चे मकान)	मैदानी क्षेत्रों में रु 1,20,000/- प्रति घर पहाड़ी क्षेत्रों में रु. 1,30,000/- प्रति घर	
ख	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर (झोपड़ियों के अलावा) जहां क्षति कम से कम 15% है।	रु. 10,000/- प्रति पक्का मकान रु. 5,000/- प्रति कच्चा मकान नोटः- अतिरिक्त राशि राज्य के बजट से पूरी की जाती है।	सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, बिजली चमकना, बिजली गिरना, आग, शीत लहर/पाला, लू और कीट आक्रमण की स्थिति में
		रु. 6,500/- प्रति घर रु. 4,000/- प्रति कच्चा घर	भूकंप, बादल फटने, भूस्खलन की स्थिति
ग	क्षतिग्रस्त/ नष्ट झोपड़ियाँ	रु. 8,000/- प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का अर्थ है अस्थायी, अस्थायी इकाई, कच्चे घर से निम्नतर, छप्पर, मिट्टी, प्लास्टिक शीट आदि से बनी, जिसे पारंपरिक रूप से राज्य/ जिला अधिकारियों द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता दी जाती है)	
घ	घर से जुड़ा पशु शेड	रु. 3,000/- प्रति शेड	